

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 404 / 2015

संस्थित दिनांक-17.11.2015

फाईलिंग नंबर-230303019502015

1. मनमोहन सिंह चौहान आयु 37 साल पुत्र अर्जुनसिंह
जाति ठाकुर निवासी ग्राम नौनेरा थाना मालनपुर
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक

अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-55 / 2014 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 17.10.15 से उत्पन्न दांडिक
अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 04.07.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 55 / 2014 निर्णय दिनांक-17.10.15 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा-341 भा.द.वि. के अपराध में एक माह का सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-506 भाग-2 भा.द.वि. दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी मनमोहनसिंह चौहान के विरुद्ध फरियादी नरेन्द्रसिंह तोमर की नाबालिग पुत्री के बलात्संग का मामला विचाराधीन मामले की घटना के करीब दो ढाई वर्ष पूर्व पंजीबद्ध हुआ था जो कि विचाराधीन था। यह भी स्वीकृत है कि आरोपी फरियादी एक ही गांव के हैं और घटना के समय उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 01.01.14 को शाम करीब 08-09 बजे ग्राम नौनेरा के पास आरोपी / अपीलार्थी द्वारा मनमोहन द्वारा फरियादी नरेन्द्र का रास्ता रोकने एवं जबरन राजीनामा करने के लिये जान से मारने की धमकी देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी नरेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 13.01.14 की शाम लगभग

07.30 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अप0क0-12/14 अंतर्गत धारा-341, 506भाग-2 एवं 195(क) भा0द0सं0 का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी नरेन्द्रसिंह, साक्षीगण परमालसिंह एवं कु0 सुमन के कथन लेखबद्ध किये गये। तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा-341 एवं 506 भाग-2 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपीगण को निर्णय के पद क्रमांक-1 अनुसार दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि विधान के विपरीत होकर काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी साक्षियों ने एकदूसरे से हितबद्धता और अपीलार्थी/आरोपी से दुश्मनी होना स्वीकार किया है। जिसके तारतम्य में बचाव पक्ष के अनुसार अभियोजन गवाहों ने झूठे कथन दिये हैं। झूठे कथनों पर विषंगतियाँ होने के बावजूद भी उन पर विश्वास कर दण्डाज्ञा पारित करने में कानूनी भूल की है। एफ0आई0आर0 अभियोजन द्वारा तीन दिन विलंब से लिखाई गई है तथा कोई भी संतुष्टि जनक जवाब भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिसे भी अनदेखा करते हुए निर्णय व दण्डाज्ञा पारित की है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। अ0सा0-2 परमालसिंह ने सुनी सुनाई गवाही प्रस्तुत की है जिससे भी अभियोजन कहानी को कोई बल नहीं मिलता है जिसे भी अनदेखा किया गया है। आरोपी/अपीलार्थी कई दिनों तक न्यायिक निरोध में रहा है जिसके आधार पर भी उपरोक्त प्रकरण में भुगती गई अवधि तक ही सजा भुगताये जाने का आदेश देते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डाज्ञा अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है जिसका भी विद्वान ए0जी0पी0 ने विरोध किया किया जाकर दण्डाज्ञा यथावत रखी जाने का निवेदन किया है।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?"
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

7. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों की तरह ही अपने अंतिम तर्कों में मूलतः यह बताया गया है कि कथानक में मार्ग अवरुद्ध किये जाने की साक्ष्य नहीं आई है और ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि घटना के समय फरियादी नरेन्द्र किस दिशा में जा रहा था जिससे आरोपी द्वारा रोका गया था। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-341 भादवि के अपराध में उसे झूठा आलिप्त करते हुए दोषसिद्ध व दण्डाज्ञा पारित की है। जो कि कतई विधिसम्मत नहीं

है और साक्ष्य भी नहीं आई है। इसके अलावा यह तर्क भी किया गया है कि घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलंब की है तथा स्वयं फरियादी नरेन्द्रसिंह के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि घर परिवार में सोच विचार करने के उपरान्त दो तीन दिन बाद रिपोर्ट की गई थी और विलंब का कोई संतोषप्रद कारण नहीं है जिससे मामला संदिग्ध है तथा साक्षीगण एक ही परिवार के होकर हितबद्ध हैं और उन्होंने रंजिशन झूठी रिपोर्ट की है तथा उनके कथनों में आपस में विरोधाभास है जिससे भी घटना संदिग्ध है। परमालसिंह अ0सा0-2 सुनी सुनाई साक्ष्य का साक्षी होकर महत्वहीन है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा विधि विरुद्ध एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होने से अपास्त की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध अपराधों से दोषमुक्त किया जावे। विकल्प में यह भी तर्क किया गया है कि यदि दोषसिद्धि स्थिर रखी जाती है तो आरोपी अपील प्रस्तुति के समय से ही निरोध में हैं तथा विचारण के दौरान भी न्यायिक निरोध में रह चुका है इसलिये उसे भोगी गई न्यायिक निरोध की अवधि से दण्डित कर मुक्त कर दिया जावे। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कडा विरोध किया गया कि आरोपी/अपीलार्थी पर बलात्कार का गंभीर अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था और उसी में समझौते का दबाव बनाने के लिये फरियादी नरेन्द्र को रास्ता रोककर धमकी दी गई इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डाज्ञा उचित है जिसे यथावत रखा जावे और अपील निरस्त की जावे।

8. उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर मामला प्र0पी0-1 की लेखी शिकायत पर से पंजीबद्ध किया गया था। प्र0पी0-1 की लेखी शिकायत के संबंध में फरियादी नरेन्द्रसिंह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-4 में यह कहा है कि उसकी लडकी सुमन एवं भाई परमालसिंह दोनों ही पढे लिखे हैं। लेकिन प्र0पी0-1 का आवेदन उनसे नहीं लिखवाया गया था। उसका यह भी कहना है कि प्र0पी0-1 का आवेदन पत्र किसी पुलिस वाले ने थाने पर ही लिखा था जिसका वह नाम पता नहीं जानता है और उसने प्र0पी0-1 लिखते समय घटना मंदिर के पीछे होने की बात बताई थी। प्र0पी0-1 का आवेदन पत्र जिसमें नरेन्द्रसिंह का अंगूठा निशानी व परमालसिंह के हस्ताक्षर हैं जिसमें घटना शुक्रवार के दिन की अर्थात् दिनांक 10.01.14 के रात करीब 08-09 बजे की बताई गई है। जब नरेन्द्रसिंह अपने पुत्री सुमन को लैट्रिन कराने के लिये गांव के पास ले गया था और वहीं आरोपी/अपीलार्थी मनमोहनसिंह था जिस पर उसकी लडकी के बलात्कार का केस चल रहा था, उसी बलात्कार के मामले में समझौता करने के लिये रास्ते में रोककर इस आशय की धमकी देना बताया कि बलात्कार के केस में राजीनामा करो नहीं तो वह उन्हें मार देगा।

9. प्र0पी0-1 का लेखी आवेदन पत्र किस पुलिस वाले द्वारा लिखा गया, इसका साक्ष्य में स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन आवेदन लिखवाने वाले की स्थिति स्पष्ट न होना प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं है। बल्कि महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या प्र0पी0-1 में जिस प्रकार की घटना बताई गई है, वैसी घटना अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित की है या नहीं की है। इसलिये यह तर्क कि फरियादी की पुत्री एवं भाई पढे लिखे होने के बावजूद उन्होंने आवेदन क्यों नहीं लिखाया, यह अभियोजन के मामले को संदिग्ध मानने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। तथा इस बिन्दु पर फरियादी के भाई परमालसिंह अ0सा0-2 और लडकी सुमन अ0सा0-3 से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया है।

10. जहाँ तक एफ0आई0आर0 के विलंबित होने का बिन्दु उठाया गया है, अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना 10.01.14 की है और रिपोर्ट दिनांक 13.01.14 को पंजीबद्ध हुई

जिसके संबंध में फरियादी नरेन्द्र अ0सा0-1 के द्वारा इस आशय का स्पष्टीकरण अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-3 में दिया है कि उसकी लडकी की तबियत खराब हो जाने के कारण वह उसे लेकर ग्वालियर चला गया था इसलिये घटना दिनांक को रिपोर्ट नहीं लिखा सका और दो तीन दिन बाद उसने थाने पर रिपोर्ट की थी। लडकी को इलाज के लिये ग्वालियर ले जाने का समर्थन उसके भाई परमाल अ0सा0-2 ने भी किया है तथा स्वयं सुमन अ0सा0-3 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्टतः बताया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी साक्षियों के द्वारा एफ0आई0आर0 विलंब से किये जाने के कारण को सद्भावी सुनिश्चित किया है। एफ0आई0आर0 में विलंब के संबंध में अभिलेख पर जो स्पष्टीकरण अ0सा0-1 लगायत 3 की साक्ष्य में आया है उसे निर्मूल या मनगढन्त नहीं माना जा सकता है तथा निर्माण सद्भावी होने से एफ0आई0आर0 विलंबित नहीं मानी जा सकती है। न ही उसके आधार पर घटना को संदिग्ध माना जा सकता है।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-341 भादवि के अपराध में आरोपी/अपीलार्थी की दोषसिद्धि करते हुए एक माह का साधारण कारावास और 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है जिसके संबंध में अभियोजन के कथानक को देखा जाये तो प्र0पी0-1 की लेखी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रात के करीब 8-9 बजे जब नरेन्द्र अपनी पुत्री को लैट्रिन कराने के लिये गांव के पास ले गया था तो रास्ते में आरोपी/अपीलार्थी ने उसे रोक लिया और राजीनामा के लिये धमकाया। उस समय उसने आरोपी से कुछ नहीं कहा और वह अपनी लडकी को लेकर घर चला आया। प्र0पी0-1 में यह स्पष्ट नहीं है कि किस स्थान पर रोका गया था। नक्शामौका प्र0पी0-2 में गांव के रास्ते में घटनास्थल प्रयागनारायण के मकान के सामने अर्थात् सडक के किनारे बताया गया है। इस संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें फरियादी नरेन्द्र अ0सा0-1 आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा रास्ता रोकने की बात तो कहता है किन्तु उसका रास्ता कहाँ रोका गया, कब रोका गया, यह स्पष्ट नहीं किया है। ऐसा भी स्पष्ट नहीं है कि जब वह अपनी लडकी को लैट्रिन कराने के लिये लेकर जा रहा था तब जाते समय रास्ता अवरुद्ध किया गया या वापस आते समय किया गया, इस बारे में परमाल अ0सा0-2 की स्थिति अनुश्रुत साक्षी की होने से उसका महत्व अ0सा0-1 व 3 पर आधारित है और सुमन अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह अवश्य स्पष्ट किया है कि अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ लगा है, वहाँ आरोपी मिला था। अर्थात् वह घटना अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे बबूल के पेड़ के पास की बताती है जो प्र0पी0-2 से मेल नहीं खाता है। क्योंकि प्र0पी0-2 में घटनास्थल क्रमांक-1 से धन के निशान से चिन्हित किया गया है जो अन्नपूर्णा मंदिर के सामने की तरफ है। बबूल का पेड़ जिस दिशा में दर्शाया गया है, जो घटनास्थल से काफी दूर दर्शित हो रहा है। ऐसे में मार्ग अवरुद्ध किये जाने के संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य का प्रकरण में अभाव है।

12. प्र0पी0-1 के लेखी आवेदन को देखा जाये तो उसमें भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि रास्ते से जाते समय धमकी दी गई या आते समय दी गई। बल्कि प्र0पी0-1 में यह उल्लेख कि आरोपी के धमकी देने पर फरियादी नरेन्द्र ने कुछ नहीं किया था और वह अपनी लडकी को लेकर घर आ गया था। अर्थात् घर आने में कोई रास्ता नहीं रोका गया, रास्ता जाने में रोका गया हो, ऐसी भी साक्ष्य नहीं है। जिस तरह की साक्ष्य आई है, उससे राजीनामा के लिये धमकी की घटना संभवतः उस समय की प्रतीत हो रही है जब फरियादी नरेन्द्र की पुत्री लैट्रिन कर रही हो। ऐसी स्थिति में धारा-341 भादवि का अपराध आकर्षित नहीं होता है क्योंकि उसके लिये इस आशय की साक्ष्य आना आवश्यक है कि फरियादी जिस दिशा में जाना चाहता था उसमें जाने से रोका गया हो। क्योंकि धारा-341 भादवि में सदोष अवरोध को परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस

व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे जबकि अभिलेख पर न तो ऐसी परिस्थिति दर्शित है न ही साक्ष्य है कि फरियादी को आरोपी/अपीलार्थी द्वारा किस दिशा में जाने से रोका गया। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-341 भादवि के अपराध में की गई दोषसिद्धि और दी गई दण्डाज्ञा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, तथ्य और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। इसलिये वह स्थिर रखे जाने योग्य न होने से धारा-341 भादवि के अपराध में दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी मनमोहनसिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त दांडिक अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को धारा-341 भादवि के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त धारा में दिया गया एक माह का साधारण कारावास और 100/-रुपये का अर्थदण्ड अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी को उक्त धारा के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में जमाशुदा 100/-रुपये का अर्थदण्ड अपील/निगरानी अवधि उपरान्त वापिस किये जाने का निर्देश दिया जाता है।

13. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा-506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो नरेन्द्रसिंह अ0सा0-1 के द्वारा इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य दी गई है कि जब वह अपनी लड़की सुमन को लैट्रिन कराने के लिये ले गया था तब आरोपी मनमोहनसिंह जिसस पर उसकी लड़की के बलात्कार का मामला विचाराधीन था। उस बलात्कार के मामले में राजीनामा करने के लिये उसे धमकाया गया कि वह राजीनामा कर ले नहीं तो जान से मार देंगे। यह बात उसने अपने भाई परमालसिंह को घर जाकर सुनाना बताया है। घर पर सुनाये जाने का समर्थन परमालसिंह अ0सा0-2 ने भी किया है तथा सुमन अ0सा0-3 जो कि फरियादी नरेन्द्र की वही पुत्री है जिसके बलात्संग का मामला आरोपी/अपीलार्थी पर विचाराधीन था। उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में कथानक का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जो कि इस बिन्दु पर तीनों ही साक्षियों की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाते हों।

14. अ0सा0-1 के द्वारा पैरा-5 में यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि उसने परिवार में अपने भाई एवं बच्चे से सलाह करके रिपोर्ट लिखाई थी। इससे यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि रिपोर्ट असत्य घटना बताते हुए षडयंत्र पूर्वक लिखाई गई। क्योंकि बलात्संग का मामला विचाराधीन घटना के समय होना खण्डित नहीं किया गया है और रिपोर्ट विलंबित होने का समुचित स्पष्टीकरण उपरोक्तानुसार आ चुका है। इसलिये रिपोर्ट षडयंत्र पूर्वक किया जाना नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक नरेन्द्र अ0सा0-1 के पुलिस कथन प्र0डी0-1 के ए से ए भाग का प्रश्न है, जिसे वह पुलिस को लिखाने से इन्कार करता है। उसमें मूलतः यही बात उल्लेखित है कि परिवार वालों से सलाह करके लिखित रिपोर्ट की गई। कोई अन्यथा स्थिति नहीं है। इससे अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य को धमकी संबंधी अपराध के बिन्दु पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है और अनुश्रुत साक्षी के रूप में परमालसिंह अ0सा0-2 ने उसका समर्थन किया है।

15. सुमन अ0सा0-3 जो कि मौके की साक्षी है, उसने भी पूर्णतः समर्थन किया है और अ0सा0-1 लगायत 3 की अभिसाक्ष्य पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सलीम शाह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 (2007) 1 एस0सी0सी0 पेज-699** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। ऐसे में अ0सा0-1 लगायत 3 के अभिसाक्ष्य से यह भली भाँति युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी/अपीलार्थी मनमोहनसिंह के द्वारा फरियादी नरेन्द्रसिंह की उसकी पुत्री के बलात्संग के मामले में समझौता करने को

विवश करने के लिये उसे इस आशय की धमकी दी कि राजीनामा कर लो नहीं तो उन्हें मार देंगे। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-506 भाग-2 भादवि के आरोप में आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल या त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये धारा-506 भाग-2 भादवि के अपराध के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पुष्टि योग्य है और इस बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाती है। फलतः उसे निरस्त करते हुए धारा-506 भाग-2 भादवि में की गई दोषसिद्धि को स्थिर रखा जाता है।

16. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, आरोपी/अपीलार्थी अपील प्रस्तुति के समय से ही न्यायिक निरोध में अवश्य हैं और अपील विचाराधीन रहते हुए अपील प्रस्तुति दिनांक से निरोध में है। विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता ने आरोपी/अपीलार्थी को न्यायिक निरोध की अवधि से ही दण्डित कर छोड़ने का निवेदन किया है जिसके संबंध में विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और आरोपी के आचरण पर चिंतन मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर इस आशय का निष्कर्ष भी आया है कि बलात्संग का जो मामला आरोपी/अपीलार्थी पर पंजीबद्ध था उसमें उसे विशेष सत्र न्यायालय डकैती भिण्ड द्वारा दोषी पाया जाकर आजीवन कारावास सहित पचपन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जिस अपराध में ही समझौते के लिये धमकाया गया था।

17. चूंकि मूल अपराध में यथोचित दण्ड आरोपी/अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है जिसे देखते हुए उदारता बरती जाने को न्यायसंगत पाया जाता है। किन्तु आरोपी/अपीलार्थी विचारण के दौरान चौदह दिन न्यायिक निरोध में धारा-428 दप्रसं के संलग्न प्रमाण पत्र अनुसार व्यतीत कर चुका है। तथा उक्त दाण्डिक अपील उसके न्यायिक निरोध में जेल में रहते हुए ही दिनांक 17.11.15 को प्रस्तुत की गई है। तभी से वह न्यायिक निरोध में है। अर्थात् वह निर्णय दिनांक 17.10.15 से निरंतर आज तक न्यायिक निरोध में चला आ रहा है और सजा भुगत रहा है जिसे देखते हुए करीब आठ माह न्यायिक निरोध में आरोपी/अपीलार्थी काट चुका है किन्तु उक्त अवधि पर्याप्त दण्डादेश नहीं है। अपराध की परिस्थिति और प्रकृति को देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी को एक वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश एवं अर्थदण्ड में अभिवृद्धि करते हुए दिया जाना उचित व न्यायसंगत होगा।

18. अतः धारा-506 भाग-2 भादवि में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दण्डादेश दो वर्ष के सश्रम कारावास को अपास्त करते हुए उसके स्थान पर एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की उक्त राशि में अधीनस्थ न्यायालय में जमाशुदा अर्थदण्ड समायाजित किया जा सकेगा। शेष अर्थदण्ड आरोपी/अपीलार्थी द्वारा अदा न करने पर व्यतिक्रम के लिये उसे पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

18. इस संबंध में आरोपी का सुपरसेशन वारंट तैयार किया जावे तथा धारा-428 दप्रसं का प्रमाण पत्र भी तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे।

19. प्रकरण में कोई संपत्ति निराकरण के लिये जप्त नहीं है।

20. निर्णय की नकल आरोपी/अपीलार्थी मनमोहनसिंह को निःशुल्क प्रदान की जावे एवं

एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **04.07.2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड